न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी जिला नागौर
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस
मुकदमा संख्या 86/24

वादी :–
1–सुभाष पारासरिया पुत्र तारूराम जाति जाट
निवासी फालकी तहसील रियांबड़ी जिला नागौर

प्रतिवादीगण :–
1–तारूराम पुत्र हरका राम जाति जाट
2–सरोज पुत्री तारूराम जाति जाट
निवासीगण फालकी तहसील रियांबड़ी
3–तहसीलदार रियांबड़ी
4–पटवारी हल्का मुगदड़ा तह.रियांबड़ी।

वकील वादी:– श्री कैलाशराम कलवानियां
वकील प्रतिवादीगण :– श्री घनश्याम खालिया

दावा बाबत खातेदारी घोषणा व बंटवाड़ा अंतर्गत धारा 88,53 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय

दिनांक :–8/4/24

वादी निम्न वाद प्रस्तुत करता है :–

1–यह है कि वादी व प्रतिवादीगण आपस में एक ही परिवार के सदस्य है। हिन्दु है व हिन्दु मिताक्षरा शाखा से गर्वन होते है व आपस में पिता–पुत्र पुत्री का रिश्ता है। सजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

तारूराम

सुभाष पारासरीया पुत्र — सरोज पुत्री

2–यह है कि ग्राम फालकी के खसरा नंबर 337 रकबा 3.16 हैक्टर,खसरा नंबर 341 रकबा 1.53 हैक्टर,खसरा नंबर 342 रकबा 0.01 हैक्टर,खसरा नंबर 343 रकबा 0.07 हैक्टर,खसरा नंबर 344 रकबा 1.37 हैक्टर कुल रकबा 6.14 हैक्टर सम्पूर्ण व मौजा फालकी के खसरा नंबर 1139 रकबा 0.80हैक्टर,खसरा नंबर 1140 रकबा 0.73 हैक्टर, खसरा नंबर 1141 रकबा 0.71 हैक्टर,खसरा नंबर 1142 रकबा 1.94 हैक्टर कुल रकबा 4.18 हैक्टर में सें 1/4 भाग प्रतिवादीगण संख्या 1 के नाम से खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक आराजी है।

3–यह है कि पैरा संख्या 2 में वर्णित आराजी को आगे वाद में मुतनाजा आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

4–यह है कि वादी व प्रतिवादीगण के बीच मौके पर बंटवाड़ा किया हुआ है व अलग अलग धोरे व पालियां दी हुई है। व इसी माफिक काश्त व काबिज चले आ रहे है। परंतु खातेदारी में नाम माफिक बंट के नहीं होने से वादी को भारी परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वादी यह बंटवाड़ा व घोषणा का वाद पेश कर रहा है।

5–यह है कि मुतनाजा आराजी का बंटवाड़ा पक्षकरान ने कर लिया हैइस प्रकार वादी व प्रतिवादीगण ने जो बंटवाड़ा किया जो निम्न प्रकार से है :–

वादी के बंट में :–

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर

मौजा फालकी के खसरा नंबर 341 रकबा 1.53 हैक्टर सम्पूर्ण,खसरा नंबर 342 रकबा 0.
हैक्टर सम्पूर्ण ,खसरा नंबर 343 रकबा 0.07 हैक्टर सम्पूर्ण बंट में रखा गया है। व
मौजा फालकी के खसरा नंबर 1139 रकबा 0.80 हैक्टर,खसरा नंबर 1140 रकबा 0.73
हैक्टर,खसरा नंबर 1141 रकबा 0.71 हैक्टर,खसरा नंबर 1142 रकबा 1.94 हक्टर कुल
रकबा 4.18 हैक्टर में सें प्रतिवादीगण संख्या 1 के नाम से दर्ज 1/4 भाग की खातेदारी
वादी के बंट में घोषित की जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 के बंट में :–

मौजा फालकी के खसरा नंबर 337 रकबा 3.16 हैक्टर व खसरा नंबर 344 रकबा 1.37
हैक्टर बंट में रखा गया है। जो पहले से ही प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी मे दर्ज
है।

प्रतिवादी संख्या 2 ने इस आराजी में अपना कोई बंट नही रखा है व अपना हिस्सा त्याग
कर दिया है। इसलिए माफिक उपर बताये अनुसार बंटवारा घोषित कर अलग से
खातेदारी की जाकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावें।

6–यह है कि उपरोक्त खसरान का बंटवाड़ा जुबानी रूप से पक्षकारान ने कर लिया है।
मगर कानूनी रूप से बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस नही हुआ है। जिससे अभी तक
माफिक बंट के अलग अलग खातेदारी का इन्द्राज नही हुआ है। जिससे वादी वादग्रस्त
खसरान का बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाने हेतू यह बंटवांड़ा का वाद पेश
कर रहा है।

7–यह है कि इस्तदुआ वादी यह है कि दावा वादी की डिक्री बहक वादी खिलाफ
प्रतिवादीगण मय खर्चा के निम्नलिखित तरीके से सादिर फरमाई जावें कि :–

ए. यह है कि वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक सह खातेदारी की आरजी
है।

बी. यह है कि विवादित खसरान का बंटवारा वाद पत्र के पैरा संख्या 5 में बताये अनुसार
बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जाकर माफिक बंटवाड़ा वादी के नाम अलग अलग
खातेदारी का इन्द्राज किया जावें व माफिक बंटवारा की खातेदारी घोषित की जावे।

सी.यह है कि दिगर दादरसी मुफिद वादी हो अतः फरमायी जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन के जबाब
हेतू तलब किया गया। वादी मय वकील व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मय वकील के हाजिर
न्यायालय होकर अपना राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा तस्दीक किया जाकर
शामिल किया गया।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में बताया गया
कि भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है। वादग्रस्त आराजी की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1
के नाम दर्ज है। जिसको वादी को बंट में देना चाहते है। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना
हिस्सा त्याग कर दिया गया है। अपना कोई बंट नही रखा गया है। अतः वाद पत्र के
पैरा संख्या 5 में बताये गये बंटवारे अनुसार वादी व प्रतिवादी के बीच बंटवारा कर दिया
जावें।

वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
संलग्न जमाबंदीयां मौजा फालकी संवत् 2073–76 का का अवलोकन किया गया। जिससे
पाया गया कि वादग्रस्त आराजी की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। जिस
में सें कुछ हिस्सा वादी को बंट में देना चाहते है। जो स्वाभाविक है क्योंकि वादग्रस्त
आराजी पैतृक है जो उतराधिकार में प्राप्त हुई है। जिसका बंटवारा उनके बीच हिन्दु
उतराधिकार अधिनियम के तहत किया जाना वाजिब है।

अतः वादी का वाद जरिये राजीनामा के स्वीकार किया जाता है। तथा पक्षकारान
के बीच निम्न प्रकार से बंटवाड़ा किया जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है :–

वादी के बंट में :–

" मौजा फालकी के खसरा नंबर 341 रकबा 1.53 हैक्टर सम्पूर्ण,खसरा नंबर 342 रकबा
0.01 हैक्टर सम्पूर्ण ,खसरा नंबर 343 रकबा 0.07 हैक्टर सम्पूर्ण बंट में रखा गया है। व

मौजा फालकी के खसरा नंबर 1139 रकबा 0.80 हैक्टर,खसरा नंबर 1140 रकबा 0.73 हैक्टर,खसरा नंबर 1141 रकबा 0.71 हैक्टर,खसरा नंबर 1142 रकबा 1.94 हक्टर कुल रकबा 4.18 हैक्टर में सें प्रतिवादीगण संख्या 1 के नाम से दर्ज 1/4 भाग की खातेदारी वादी के बंट में घोषित की जाती है।"

<u>प्रतिवादी संख्या 1 के बंट में :–</u>

"मौजा फालकी के खसरा नंबर 337 रकबा 3.16 हैक्टर व खसरा नंबर 344 रकबा 1.37 हैक्टर बंट में रखा गया है। जो पहले से ही प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी मे दर्ज है।"

तहसीलदार रियांबड़ी उपरोक्तानुसार बंटवारा किया जाकर खातेदारी का ईन्द्राज राजस्व रेकार्ड में किया जाकर लगान अलग से कायम करें। तहसीलदार रियांबड़ी को तहरीर जारी हो। इसी आशय का डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 8/4/24 .....को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
तहसीलदार रियांबड़ी